रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 14] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 22, 1985/अग्रहायण 1, 1907
No. 14] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 22, 1985/AGRAHAYANA 1, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1985

का. नि. आ. 17 (अ) :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा, रक्षा मंत्रालय में सम्मिलित पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ —(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा (समूह क) नियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।

(क) "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है ;

(ख) "कर्त्तव्य पद" से अनुसूची 1 में सम्मिलित कोई स्थाई या अस्थाई पद अभिप्रेत है ;

(ग) "परीक्षा" से सेवा में, और ऐसी अन्य सेवा या सेवाओं में जो सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं, भर्ती के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली सम्मिलित, प्रतियोगिता परीक्षा, जिसमें एक प्रारंभिक परीक्षा और एक मुख्य परीक्षा है, अभिप्रेत है ;

(घ) "सरकार" से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है ;

(ङ.) "श्रेणी" से सेवा की कोई श्रेणी अभिप्रेत है ;

(च) किसी श्रेणी के संबंध में "नियमित सेवा" से, उस श्रेणी में दीर्घ अवधि नियुक्ति के लिए, विहित प्रक्रिया के अनुसार, चयन के पश्चात् श्रेणी में की गई सेवा की अवधि या अवधियां अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसी अवधि या अवधियां भी हैं, —

(i) जो सेवा के आरम्भिक गठन पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में ज्येष्ठता के प्रयोजन के लिए गणना में ली जाती है।

(ii) जिसके या जिनके दौरान कोई अधिकारी श्रेणी में कर्त्तव्य पद धारण करता यदि वह छुट्टी पर नहीं होता या ऐसे पद को धारण करने के लिए अन्यथा अनुपलब्ध न होता।

(छ) "अनुसूची" से इन नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ज) "अनुसूचित जातियों" और "अनुसूचित जनजातियों" के वही अर्थ हैं जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (24) और (25) में हैं ; और

(झ) "सेवा" से नियम 3 के अधीन गठित भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा (समूह क) अभिप्रेत है ।

3 भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा (समूह क) का गठन :—"भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा (समूह क)" के नाम से एक सेवा का गठन किया जाएगा जिसमें नियम 6 और 7 के अधीन सेवा में नियुक्त किए गए व्यक्ति होंगे । सेवा में सम्मिलित सभी पद समूह "क" के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे ।

4. श्रेणियां, प्राधिकृत पद-संख्या और उनका पुनर्विलोकन :—(1) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को सेवा की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित कर्तव्य पद, उनकी संख्या और वेतनमान वे होंगे जो अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट हैं ।

(2) इन नियमों के प्रारम्भ के पश्चात्, विभिन्न श्रेणियों में कर्तव्य पदों की प्राधिकृत स्थायी संख्या वह होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए ।

(3) सरकार, कर्तव्य पदों की संख्या में ऐसी अस्थायी वृद्धियां या कमी कर सकेगी जो वह समय-समय पर आवश्यक समझे ।

(4) सरकार, आयोग के परामर्श से, अनुसूची 1 में सम्मिलित पदों से भिन्न किसी पद को सेवा में सम्मिलित कर सकेगी या उक्त अनुसूची में सम्मिलित किसी पद को सेवा से अपवर्जित कर सकेगी ।

(5) सरकार, आयोग के परामर्श से, किसी ऐसे अधिकारी को जिसका पद उपनियम (4) के अधीन सेवा में सम्मिलित किया जाना है, सेवा की उपयुक्त श्रेणी में अस्थायी हैसियत या अधिष्ठायी हैसियत में, जैसा ठीक समझा जाए, नियुक्त कर सकेगी और सदृश श्रेणी में उसकी निरन्तर नियमित सेवा को गणना में लेने के पश्चात् श्रेणी में उसकी ज्येष्ठता नियत कर सकेगी ।

5. सेवा के सदस्य :— (1) निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) इन नियमों के प्रारम्भ के समय नियम 6 के अधीन सेवा में नियुक्त किए गए व्यक्ति, ऐसे प्रारम्भ की तारीख से ,

(ख) इन नियमों के प्रारम्भ के पश्चात् सेवा में नियुक्त किए गए व्यक्ति, उस तारीख से जिस तारीख को वे इस प्रकार नियुक्त किए जाते हैं ;

(2) उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति, ऐसे प्रारम्भ पर, तत्स्थानी श्रेणी में सेवा का सदस्य समझा जाएगा ।

(3) इन नियमों के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति की तारीख से, तत्स्थानी श्रेणी में सेवा का सदस्य होगा ।

6 सेवा का आरम्भिक गठन —(1) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को पूर्ववर्ती सैनिक भूमि और छावनी सेवा (समूह क) के सब अधिकारी उन पदों या श्रेणियों के, जिन्हें वह ऐसे प्रारम्भ के पूर्व नियमित आधार पर धारण कर रहे थे सेवा में तत्स्थानी पदों पर या श्रेणियों में नियुक्त किए गए समझे जाएंगे ।

टिप्पण :—सेवा में अधिकारियों की नियुक्ति के पूर्व उपनियम (1) में उल्लिखित तत्स्थानी श्रेणी में की गई नियमित निरन्तर सेवा को ज्येष्ठता प्रोन्नति, पुष्टि और पेंशन के लिए अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा ।

(2) तत्पश्चात्, सेवा की विभिन्न श्रेणियों में प्रोन्नति द्वारा भरने के लिए आशयित रिक्तियों के लिए संबंधित, विभागीय प्रोन्नति समिति इस विषय पर सरकारी अनुदेशों के अनुसार, इन नियमों के प्रकाशित होने से पूर्व, उन रिक्तियों के लिए जो कि किसी वर्ष विशेष में हुई हों, वर्षवार पैनल बनाएगी ।

(3) उस सीमा तक जिस तक कि सेवा में विभिन्न श्रेणियों की प्राधिकृत नियमित पद-संख्या आरंभिक गठन के समय इस नियम के उपनियम (1) और (2) के अनुसार भरी नहीं जाती है, नियम 7 के अनुसार भरी जाएगी ।

7. सेवा का भविष्य में अनुरक्षण :— (1) नियम 6 के अनुसार अधिकारियों की नियुक्ति करके सेवा का आरम्भिक गठन पूर्ण हो जाने के पश्चात् रिक्तियां उस रीति से भरी जाएंगी जो इसमें इसके पश्चात् उपबंधित है ।

(2) (i) समूह 'क' कनिष्ठ वेतनमान में अधिष्ठायी रिक्तियों का 75% आयोग द्वारा अनुसूची 2 में यथा विनिर्दिष्ट शैक्षिक अर्हताओं और आयु सीमा तथा परिक्षा की उस स्कीम के अनुसार जो केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से समय-समय पर अधिसूचित की जाए, ली गई प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा ।

(ii) कनिष्ठ वेतनमान में शेष 25% अधिष्ठायी और सभी अस्थायी रिक्तियों को योग्यता के अनुसार चयन के आधार पर प्रोन्नति द्वारा उन व्यक्तियों की जो उस श्रेणी के पैनल में सम्मिलित हैं पैनल में उनकी ज्येष्ठता के क्रम में नियुक्ति द्वारा सिवाय तब के भरा जाएगा जबकि कोई व्यक्ति उसकी बारी आने पर विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों पर ऐसे कारणों से जिन्हें लेखबद्ध किया जाएगा, ऐसी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता है ।

(3) उपनियम (2) (ii) में निर्दिष्ट पैनल, ऐसे छावनी कार्यपालक अधिकारी (समूह ख) और सहायक सैनिक सम्पदा अधिकारी (समूह ख) में से, जिन्होंने अपनी-अपनी श्रेणी में कम से कम तीन वर्ष नियमित सेवा की है, 1 : 1 के अनुपात में योग्यता के अनुसार चयन के आधार पर तैयार किया जाएगा ।

(4) सेवा के समूह क ज्येष्ठ वेतनमान और उससे ऊपर के पदों पर नियुक्तियां अगली निम्नतर श्रेणियों में से ऐसे अधिकारियों की प्रोन्नति द्वारा की जाएगी जिन्होंने अनुसूची 3 में यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हक सेवा की है जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा की जाएगी । प्रतिनियुक्ति पर भर्ती यदि आवश्यक हुई तो, सरकार द्वारा आयोग से परामर्श करने के बाद की जाएगी ।

(5) प्रोन्नतियों के लिए अधिकारियों का चयन, अनुसूची 4 में दर्शित संरचना के अनुसार गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश पर योग्यता के अनुसार चयन द्वारा किया जाएगा (किन्तु समूह क ज्येष्ठ वेतनमान तथा कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी) चयन श्रेणी (के पदों पर, प्रोन्नति अयोग्य व्यक्तियों को अस्वीकृत करते हुए, ज्येष्ठता के क्रम में की जाएगी) ।

8 परिवीक्षा (1) सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में नियुक्त, व्यक्ति चाहे वे सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए हैं या प्रोन्नति द्वारा, दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे

परन्तु सरकार परिवीक्षा के दौरान असंतोषप्रद कार्य संपादन के कारण या विभागीय परीक्षा में असफल होने या किन्हीं सम्यक् कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, किसी व्यक्ति की परिवीक्षा की अवधि को बढ़ा सकती है

परन्तु यह और कि परिवीक्षा की अवधि बढ़ाने को बाबत विनिश्चय प्रारंभिक परीक्षा की अवधि समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् सामान्यतया 6 से 8 सप्ताह के भीतर किया जाएगा और सम्बद्ध व्यक्ति को उसके कारणों सहित सूचित किया जाएगा ।

(2) परिवीक्षा की अवधि पूर्ण होने पर, व्यक्तियों को, यदि उन्हें स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया जाता है तो, यथास्थिति, उनको नियुक्ति में पुष्ट किया जाएगा या उन्हें उनकी नियुक्ति में नियमित आधार पर रखा जाएगा और उपलब्ध अधिष्ठायी रिक्तियों में सम्यक् अनुक्रम में उनकी पुष्टि की जाएगी ।

(3) यदि, उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट परिवीक्षा की अवधि या उसकी बढ़ाई गई अवधि के दौरान, सरकार की यह राय है कि कोई अभ्यर्थी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है या यदि, ऐसी परिवीक्षा की अवधि या उसको बढ़ाई गई अवधि के दौरान, सरकार का यह समाधान हो जाता है कि अभ्यर्थी ऐसी परिवीक्षा की अवधि या उसकी बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति पर स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं होगा तो सरकार, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, अभ्यर्थी को या तो सेवामुक्त कर सकती है या सेवा के समूह क के कनिष्ठ वेतनमान में, जिसे वह पदोन्नति होने से पूर्व धारण कर रहा था, उसके अधिष्ठायी पद पर प्रतिवर्तित कर सकती है या ऐसे आदेश पारित कर सकती है जो वह ठीक समझे ।

(4) परिवीक्षा की अवधि के दौरान, सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों से परिवीक्षा को सन्तोषप्रद रूप से पूर्ण करने की एक शर्त के रूप में, केन्द्रीय सरकार ऐसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और अनुदेश तथा परीक्षाएं और परीक्षण (जिसके अन्तर्गत हिन्दी परीक्षा और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के पाठ्यक्रम के अन्त पर परीक्षण भी है) लेने की अपेक्षा कर सकेगी जो वह ठीक समझे :

परन्तु यदि कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता उसकी वह पहली वेतनवृद्धि, जिसे वह परीक्षा का परिणाम घोषित किए जाने के पश्चात् पाने का हकदार हो जाता है, एक वर्ष के लिए या उस तारीख तक के लिए जिसको वह अगली वेतनवृद्धि का हकदार हो जाता है, इनमें से जो भी पूर्ववर्ती हो, असंचयी प्रभाव से मुल्तवी कर दी जाएगी ।

9. सेवा के सदस्यों की सेवा में नियुक्ति, सेनाओं और स्थानान्तरण.— सेवा में सभी नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाएंगी और सेवा के सदस्यों की सेनाओं और उनका स्थानान्तरण महानिदेशक, रक्षा सम्पदा द्वारा किए जाएंगे ।

10. भारत के किसी भी भाग में या भारत से बाहर सेवा करने का दायित्व और सेवा की अन्य शर्तें :

(1) सेवा में नियुक्त किए गए अधिकारी भारत में कहीं भी या भारत से बाहर सेवा करने के दायी होंगे ।

(2) प्रतिनियुक्त किए जाने पर अधिकारी, भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग या भारत सरकार के अधीन किसी निगम या औद्योगिक उपक्रम में सेवा करने के दायी होंगे ।

(3) सेवा के सदस्यों की सेवा की शर्तें, उन मामलों की बाबत जिनके लिए इन नियमों में उपबंध नहीं किए गए हैं, वैसी ही होंगी जो साधारणतः केन्द्रीय सिविल सेवा के अधिकारियों को समय-समय पर लागू होती हैं ।

11. निरर्हताएं :— वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :—

परन्तु यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

12. शिथिल करने की शक्ति :— जहां सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

13. व्यावृत्ति :— इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

14. निर्वचन :— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय सरकार द्वारा किया जाएगा।

15. निरसन :— सैनिक भूमि और छावनी सेवा (समूह क) नियम 1981 निरसित किए जाते हैं :—

परन्तु ऐसा निरसन ऐसे निरसन से पहले उक्त नियमों के अधीन की गई या करने से लोप की गई किसी बात या कार्रवाई पर प्रभाव नहीं डालेगा।

अनुसूची 1]

[नियम 3 का खण्ड (ख) और नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा (समूह क) की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित करने योग्य पदों के नाम, संख्या और वेतनमान

क्रम सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1.	महानिदेशक	1	2750 रु. नियत
2.	अपर महानिदेशक/निदेशक (स्तर-I)	4	2500-125/2-2750 रु.
3.	उप महानिदेशक/निदेशक (स्तर-II)	6	2250-125/2-2500 रु.

1	2	3	4
4.	संयुक्त निदेशक (चयन ग्रेड)	3	2000-125/2-2250 रु.
5.	संयुक्त निदेशक (सामान्य ग्रेड)/सहायक महानिदेशक	14	1500-60-1800-100-2000 रु.
6.	सहायक निदेशक/उप सहायक महानिदेशक/रक्षा सम्पदा अधिकारी/छावनी कार्यपालक अधिकारी (ज्यष्ठ वेतनमान)	56	1100 (6ठा वर्ष या कम) 50-1600 रु. अनुसूची 3 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए
7.	छावनी कार्यपालक अधिकारी/सम्पदा अधिकारी (कनिष्ठ वेतनमान)	32	700-40-900-द.रो.-40-1100-50-1300 रु.

अनुसूची-2

[नियम 7 का उप नियम (2) देखिए]

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा (समूह क) के समूह क कनिष्ठ वेतनमान पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं और आयु-सीमा.

(1) अभ्यर्थी के पास भारत के केन्द्रीय या किसी राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित, किसी अन्य शिक्षा संस्था या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1953 की धारा 3 के अधीन घोषित किए समझ गए विश्वविद्यालय या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित विदेशी विश्वविद्यालय की उपाधि या ऐसी अर्हताएं होनी चाहिए जिन्हें सरकार द्वारा परीक्षा में प्रवेश के प्रयोजन के लिए मान्यता दी गई है।

(2) जिस वर्ष में परीक्षा आयोजित की जाती है, उस वर्ष की 1 जनवरी को अभ्यर्थी 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो किन्तु 28 वर्ष की आयु का न हुआ हो। 1935 तथा इसके बाद आयोजित परीक्षा के लिए ऊपर की आयु सीमा 26 वर्ष होगी।

अनुसूची 3

[नियम 7 का उपनियम (2) (3) और (4) देखिए]

भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा (समूह क) की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित किए जाने वाले पदों पर भर्ती की पद्धति, प्रोन्नति का क्षेत्र और प्रोन्नति पर अधिकारियों की नियुक्ति के लिए ठीक निम्नतर श्रेणी में न्यूनतम अर्हक सेवा

क्रम सं.	पद का नाम	भर्ती की पद्धति	चयन का क्षेत्र और प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा
1	2	3	4
1.	महानिदेशक (2750 रु. नियत)	प्रोन्नति द्वारा	ऐसे अपर महानिदेशक/निदेशक (स्तर-I) जो नियमित आधार पर नियुक्त हों।
2.	अपर महानिदेशक/निदेशक (स्तर-I) (2500-2750 रु.)	-वही-	ऐसे उप महानिदेशक/निदेशक (स्तर II) जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में 2 वर्ष सेवा की है।
3.	उप महानिदेशक/निदेशक (स्तर-II) (2250-2500 रु.)	-वही-	ऐसे संयुक्त निदेशक/सहायक महानिदेशक/उप निदेशक जिन्होंने उस श्रेणी में 7 वर्ष नियमित सेवा की है। इनके न होने पर ऐसे संयुक्त निदेशक/सहायक महानिदेशक/उप निदेशक जिन्होंने 10 वर्ष संयुक्त नियमित सेवा निम्नलिखित श्रेणियों में की है— संयुक्त निदेशक/सहायक महानिदेशक/उप निदेशक और सहायक निदेशक/उप सहायक महानिदेशक/रक्षा सम्पदा अधिकारी छावनी कार्यपालक अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान)
4.	संयुक्त निदेशक (चयन ग्रेड) (2000-2250 रु.)	अचयन आधार पर	ऐसे संयुक्त निदेशक/सहायक महानिदेशक जिनका वेतनमान अधिकतम सीमा तक अर्थात 2000 रु. तक, पहुंच चुका है तथा 2 वर्ष से वहीं पर रुका है।
5.	संयुक्त निदेशक (सामान्य ग्रेड)/सहायक महानिदेशक (1500-2000 रु.)	प्रोन्नति द्वारा	ऐसे सहायक निदेशक/उप सहायक महानिदेशक/रक्षा सम्पदा अधिकारी/छावनी कार्यपालक अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान) जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है। इनके न मिलने पर ऐसे सहायक निदेशक/उप सहायकमहानिदेशक

1	2	3	4
			रक्षा सम्पदा अधिकारी/छावनी कार्यपालक अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान) जिन्होंने 9 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा इस श्रेणी में की है। महायक निदेशक/उप सहायक महानिदेशक/रक्षा सम्पदा अधिकारी/छावनी कार्यपालक अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान) तथा छावनी कार्यपालक अधिकारी/सम्बद्ध अधिकारी (कनिष्ठ वेतनमान)
6. सहायक निदेशक/उपसहायक महानिदेशक/रक्षा सम्पदा अधिकारी/छावनी कार्यपालक अधिकारी/(वरिष्ठ वेतनमान) पर) (1100-1600 रु.)	प्रोन्नति द्वारा (अवयन आधार		ऐसे छावनी कार्यपालक (अधिकारी), सम्बद्ध अधिकारी (कनिष्ठ वेतनमान) जिन्होंने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है तथा उस श्रेणी में 4 वर्ष की नियमित सेवा की है।
7. छावनी कार्यपालक (अधिकारी) सम्बद्ध अधिकारी (कनिष्ठ वेतनमान) (700-1300 रु.)	(1) 25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा (2) 75 प्रतिशत नियम 7 के उप नियम (2) के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा		छावनी कार्यपालक अधिकारी सेवा (समूह ख) और रक्षा सम्पदा अधिकारी सेवा (समूह ख) के ऐसे अधिकारियों में से 1:1 अनुपात में जिन्होंने अपनी-अपनी सेवा में 3 वर्ष नियमित सेवा की है।

स्पष्टीकरण

(1) कनिष्ठ श्रेणी : निदेशक (साधारण श्रेणी)/सहायक महानिदेशक की प्रोन्नति की पात्रता के निर्धारण के लिए तत्कालीन 400-400-150-30-510-द.रो.-70-40-1100-50-12-1250 रु. के वेतनमान में 1-1-1973 से पहले उस श्रेणी में दक्षता रोध पार करने के बाद की गई सेवा 1100-1600 रु. (वरिष्ठ वेतनमान) के ग्रेड में की गई सेवा के रूप में गिनी जाएगी

(2) ऊपर क्रम सं. 2 में दिए गए पद पर प्रोन्नति के लिए पात्रता के निर्धारण के लिए तत्कालीन 2000-2500 रु. की श्रेणी में की गई सेवा 2250-2500 रु. (स्तर-II) की श्रेणी में की गई सेवा के रूप में गिनी जाएगी।

अनुसूची-4

[नियम 7 का उप नियम (5) देखिए]

भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा (समूह क) के समूह क पदों पर प्रोन्नति और पुष्टि के मामलों पर विचार करने के लिए समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना :—

क्र.सं.	पदनाम	(प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति	(पुष्टि पर विचार करने के लिए) समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति
1	2	3	4
1.	महानिदेशक	(1) अध्यक्ष/सदस्य, सं. लो. से. आयोग—अध्यक्ष (2) सचिव/अपर सचिव, रक्षा मंत्रालय,—सदस्य	(1) सचिव, रक्षा मंत्रालय—अध्यक्ष (2) अपर सचिव, रक्षा मंत्रालय—सदस्य
2.	अपर महानिदेशक/निदेशक (स्तर-1)	(1) अध्यक्ष/सदस्य, सं. लो. से. आ. अध्यक्ष (2) अपर सचिव, रक्षा मंत्रालय—सदस्य (3) महानिदेशक, रक्षा संपदा—सदस्य	(1) सचिव, रक्षा मंत्रालय—अध्यक्ष (2) अपर सचिव, रक्षा मंत्रालय—सदस्य (3) महानिदेशक, रक्षा संपदा—सदस्य
3.	उप महानिदेशक/निदेशक (स्तर-2)	(1) अध्यक्ष/सदस्य सं. लो. से. आ.—अध्यक्ष (2) अपर सचिव, रक्षा मंत्रालय—सदस्य (3) महानिदेशक, रक्षा संपदा—सदस्य	(1) अपर सचिव, रक्षा मंत्रालय—अध्यक्ष (2) महानिदेशक, रक्षा संपदा—सदस्य (3) संयुक्त सचिव (पी एंड डब्ल्यू) रक्षा मंत्रालय—सदस्य
4	संयुक्त निदेशक (गैर-कार्यात्मक) (चयन श्रेणी)	(1) संयुक्त सचिव (पी एंड डब्ल्यू), रक्षा मंत्रालय—अध्यक्ष (2) महानिदेशक, रक्षा संपदा—सदस्य (3) अपर महानिदेशक, रक्षा संपदा—सदस्य	

1	2	3	4
5	संयुक्त निदेशक (साधारण श्रेणी)/ सहायक महानिदेशक	(1) अध्यक्ष/सदस्य, स. लो. से. आ.—अध्यक्ष	(1) संयुक्त सचिव (पी एंड डब्ल्यू) रक्षा मंत्रालय—अध्यक्ष
		(2) संयुक्त सचिव (पी एंड डब्ल्यू), रक्षा मंत्रालय—सदस्य	(2) महानिदेशक, रक्षा संपदा—सदस्य
		(3) महानिदेशक, रक्षा संपदा—सदस्य	
6.	सहायक निदेशक/उप सहायक महानिदेशक/रक्षा संपदा अधिकारी/छावनी कार्यपालक अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान)	(1) संयुक्त सचिव (पी एंड डब्ल्यू) रक्षा मंत्रालय—अध्यक्ष	(1) संयुक्त सचिव (पी एंड डब्ल्यू) रक्षा मंत्रालय—अध्यक्ष
		(2) महानिदेशक, रक्षा संपदा—सदस्य	(2) महानिदेशक, रक्षा संपदा—सदस्य
		(3) उप सचिव (सी पी) रक्षा मंत्रालय—सदस्य	(3) उप सचिव (सी पी) रक्षा मंत्रालय—सदस्य
7.	छावनी कार्यपालक अधिकारी/संपदा अधिकारी (कनिष्ठ वेतनमान)	(1) अध्यक्ष/सदस्य, सं. लो. से आ.—अध्यक्ष	(1) संयुक्त सचिव (पी एंड डब्ल्यू) रक्षा मंत्रालय—अध्यक्ष
		(2) संयुक्त सचिव (पी एंड डब्ल्यू), रक्षा मंत्रालय—सदस्य	(2) महानिदेशक, रक्षा संपदा—सदस्य
		(3) महानिदेशक, रक्षा संपदा—सदस्य	(3) उप सचिव (सी पी) रक्षा मंत्रालय—सदस्य

टिप्पण : 1. यदि समिति के आधे से अधिक सदस्य उसके अधिवेशन में उपस्थित रहे हैं तो आयोग के अध्यक्ष या सदस्य से भिन्न किसी सदस्य के अनुपस्थित रहने से समिति की कार्यवाई अविधिमान्य नहीं होगी।

टिप्पण : 2. पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाईयां आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी किन्तु यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।

टिप्पण : 3. यदि सेवा के किसी पद पर नियुक्त किसी अधिकारी के मामले पर उच्चतर पद में प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए विचार किया जाता है तो श्रेणी में उससे ज्येष्ठ सभी व्यक्तियों के मामलों पर भी, इस बात को विचार में लाए बिना कि उन्होंने अपेक्षित वर्षों तक सेवा नहीं की है विचार किया जायेगा

स्पष्टीकरण ज्ञापन

सैनिक भूमि और छावनी सेवा समूह 'क' के लिए भर्ती नियम का. नि. आ. सं. 23(अ), तारीख 23-4-81 के अंतर्गत सन् 1981 में संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से (देखिए उनके पत्र सं. एफ. 3/4(13)/77/आर आर, तारीख 23-4-1981) प्रकाशित किए गए थे।

उपर्युक्त नियम छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 280 की उपधारा (2) के खंड (यग) के अंतर्गत बनाए गए थे। उपर्युक्त अधिनियम का छावनी (संशोधन) अधिनियम, 1983 द्वारा संशोधन किया गया है और ऊपर उल्लिखित खंड का लोप किया गया है। इस प्रकार नियमों के संशोधन करने के लिए कोई समर्थकारी खंड नहीं है। सेवा की कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी से ऊपर के पदों के वेतनमान का ऊपर की ओर पुनरीक्षण मंजूर किया गया था और सरकार के पत्र सं. एफ 15(2)/79-डी (क्यू एंड सी), तारीख 29 जुलाई, 1983 द्वारा ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में स्तर 1 और 2 सृजित किए गए थे। उसी पत्र द्वारा अपर महानिदेशक के पद का सृजन किया गया था और संयुक्त निदेशक के पद अकृत्यकारी पद हो गए और उनकी संख्या 5 से 3 हो गई। कुछ और मामले सैनिक भूमि और छावनी (समूह क) नियम, 1981 के लागू करने में पैदा हो गए, विशेष रूप से उसके नियम 6 में सम्मिलित किए गए परिणामिक गठन खंड की बाबत जिसके परिणामस्वरूप रिक्तियां जमा हो गई और बड़ी संख्या में अतिरिक्त पद हुए जिससे सेवा के अधिकारियों पर कुप्रभाव पड़ने की संभावना है। इस बीच में सरकार ने सेवा के नाम को भारतीय रक्षा संपदा सेवा (समूह क) का नाम देने का विनिश्चय किया।

तदनुसार, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नए भर्ती नियम बनाने की प्रस्थापना है जिससे कि उपर्युक्त कठिनाइयों और कमियों का समाधान हो सके तथा विशेष रूप से उन रिक्तियों को वितरित किया जा सके जो विभिन्न श्रेणियों में पिछले दिनों में हुई हैं और चयन सूची तैयार करने के लिए इन नियमों को लागू करने का तत्काल का विचार है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्थापित भर्ती नियमों को प्रकाशित करने से सेवा में विद्यमान किसी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[फा. सं. 103/57/डी जी एम/क्यू एंड सी]

के. आ निवासन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 22nd November, 1985

S.R.O. 17 (E) :—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules for regulating the method of recruitment (and conditions of service of pesons appointed) to the posts included in the India Defence Estates Service, Ministry of Defence, namely :—

RULES

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Indian Defence Estates Service (Group A) Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition :—In these rules unless context otherwise requires,

(a) "Commission" means the Union Public Service Commission;

(b) "Duty post" means any post, whether permanent or temporary, included in Schedule I;

(c) "Examination" means a combined competitive examination consisting of a preliminary examination and a main examination conducted by the Commission for recruitment to the Service and such other Service or Services as may be specified by the Government from time to time;

(d) "Government" means the Central Government;

(e) "Grade" means a grade of the Service;

(f) "Regular Service" in relation to any grade means the peiod or periods of service in the grade rendered after selection, according to prescribed procedure, for a long term appointment to that grade and includes any period or periods,—

(i) taken into account for purposes of seniority in the case of those appointed at the initial constitution of the Service;

(ii) During which an officer would have held a duty post in the grade but for being on leave or otherwise not being avilable for holding such post;

(g) "Schedule" means a Schedule to these rules;

(h) "Schedule Castes" and "Schedule Tribes" shall respectively have the same meaning as in clauses (24) and (25) of article 366 of the Constitution; and

(i) "Service" means the Indian Defence Estates Service (Group A) constituted under rule 3.

3. Constitution of the Indian Defence Estates Service (Group A) :—There shall be constituted a Service known as "Indian Defence Estates Service (Group A)" consisting of persons appointed to the service under ruls 6 and 7. All the posts included in the Service shall be classified as Group A posts.

4. Grades, authorised strength and its review :—(1)) The duty posts included in the various grades of the Service, their number and scales of pay on the date of commencement of these rules shall be as specified in Schedule I.

(2) After the commencement of these rules, the authorised permanent strength of the duty posts in various grades shall be such as may from time to time be determined by the Government.

(3) The Government may make temporary additions to or deletions from the strength of the duty posts in various grades as it may deem necessry from time to time.

(4) The Government may, in consultation with the Commission, include in the Service any post other than those included in Schedule I or exclude from the Service a post included in the said Schedule.

(5) The Government may, in consultation with the Commission, appoint an officer whose post is included in the Service under sub-rule(4) to the appropriate grade of the Service in a temporary capacity or in a substantive capacity, as may be deemed fit, and fix his seniority in the grade after taking into account his continuous regular service in the analogous grade.

5 Members of the Service :—(1) The following persons shall be members of the Service, namely :—

(a) persons appointed to the Service at the commencement of these rules under rule 6, from the date of such commencement;

(b) persons appointed to the Service after the commencement of these rules, from the date they are so appointed.

(2) A person appointed under clause (a) of sub-rule (1) shall, on such commencement, be deemed to be a member of the Service in the corresponding grade.

(3) A person appointed under clause (b) of sub-rule (1) shall, be a member of the Service in the corresponding grade, from the date of such appointment.

6. Initial Constitution of the Service :—(1) All officers in the erstwhile Military Land and Cantonments Service (Group 'A') on the date of

commencement of these rules, shall be deemed to have been appointed to the Service in the posts or grades corresponding to those which they were holding on regular basis before such commencement.

Note : The regular continuous service of officers mentioned in sub-rule (1) in the respective corresponding grade prior to their appointment to the Service shall count for the purpose of qualifying service for seniority, confirmation, promotion and pension.

(2) Thereafter, for the vacancies intended to be filled by promotion, in various grades of the Service, the Departmental Promotion Committee concerned shall prepare year-wise panels, for the vacancies which arose in a particular year before publication of these rules, as per the Government instructions on the subject.

(3) To the extent the authorised strength of various grades in the Service is not filled at the time of initial constitution, as in sub-rules (1) and (2) of this rule, it shall be filled in accordance with Rule 7.

7. Future maintenance of the Service :—

(1) After the initial constitution of the Service has been completed by the appointment of officers in accordance with rule 6, vacancies shall be filled in the manner as hereinafter provided.

(2) (i) 75 per cent of the substantive vacancies in Group 'A'Junior Scale shall be filled by direct recruitment on the results of a competitive examination conducted by the Commission in accordance with the educational qualifications and age limit as specified in Schedule II and the Scheme of examination as may be notified by the Government, in consultation with the Commission, from time to time.

(ii) The remaining 25 per cent substantive and all temporary vacancies in the Junior Scale shall be filled by appointment of persons by promotion on the basis of selection on merit included in the panel for this grade in the order of seniority in the panel except when for reasons to be considered in writing if a person is not considered fit for such appointment in his turn on the recommendations of the DPC.

(3) The panel referred to in sub-rule (2) (ii) shall be prepared on the basis of selection on merit in the ratio of 1 : 1 from amongst such cantonment Executive Officers (Group B) and the Assistant Defence Estates Officers (Group B) as have rendered not less than 3 year's regular service in the respective Grades.

(4) Appointment to the posts in Group A senior scale and above of the Service shall be made by promotion from amongst the officers in the next lower grades with the minimum qualifying service as specified in Schedule III, failing by which transfer on deputation. Recruitment by transfer on deputation shall, if necessary, be made by the Government after consultation with the Commission.

(5) The selection of officers for promotion shall be made by selection on merit (except in the cases of promotion to the posts in Group A Senior Scale and Junior Administrative Grade (Selection Grade) which shall be in the order of seniority subject to rejection of the unfit) on the recommendations of the Departmental Promotion Committee constituted in accordance with the composition given in Schedule IV.

8. Probation :—(1) Every person on appointment to the junior scale of the Service, either by direct recruitment or by promotion to that scale, shall be on probation for two years :

Provided that the Government may extend the period of probation of any person for unsatisfactory performance during the probation or for failure to pass the departmental examination or for non-completion of training or for any other reasons to be recorded in writing :

Provided further that the decision regarding extension of period of probation shall be taken immediately after the expiry of the initial period of probation ordinarily within a period of 6 to 8 weeks and communicated to the concerned person together with the reasons for such extension.

(2) On the completion of the period of probation, persons shall, if considered fit for permanent appointment,be confirmed in their appointment or be retained in their appointment on regular basis and be confirmed in due course against the available substantive vacancies, as the case may be.

(3) If during the period of probation referred to in sub-rule (1) or any extension thereof, as the case may be, the Government is of the opinion that a candidate is not fit for permanent appointment or if, at any time during such period of probation or extension thereof, the Government is satisfied that the candidate will not be fit for permanent appointment on the expiration of such period of probation or extension thereof, the Government may, for reasons to be recorded in writing, discharge or revert the candidate to the post which he has been holding before his promotion to the Junior Scale of Gr. 'A' of the Service as the case may be or pass such orders as it deemed fit.

(4) During the period of probation, canidates appointed by direct recruitment may be required by the Government to undergo such course of training & instructions and examination and tests(including test in Hindi and the test at the end of the course at Lal

Bahadur Shastri National Academy of Administration) as it may deem fit, as a condition to satisfactory completion of the probation :

Provided that in case any of the probationers do not pass such test, the first increment which he would be entitled to draw after the result of the test are announced, shall be postponed non-cumulatively by one year upto the date on which he becomes entitled to the next subsequent increment, whichever is earlier.

9. Appointment to the Service, posting and transfer of Members of the Service.—All appointments to the Service shall be made by the President and the postings and transfers of the members of the Service shall be made by the Director General, Defence Estates.

10. Liability to serve in any part of India or outside and other conditions of service.—(1) Officer is appointed to the service shall be liable to serve any where in India and/or outside.

(2) Officers, if deputed, shall be liable to serve in, any other Ministry or Department of the Government of India or Corporation and Industrial Undertaking under the Government of India.

(3) The conditions of service of the members of the Service in respect of matters for which no provisions is made in these rules shall be the same as are applicable from time to time, to officers of Control Civil Services, in general.

11. Disqualification.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the service :

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

12. Power to relax.—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order or reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

13. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time.

14. Interpretation.—If any question relating to the interpretation of these rules arises, it shall be decided by the Government.

15. Repeal.—The Military Land and Cantonments Service (Group A) Rules, 1981 are hereby repealed :

Provided that such repeal shall not affect anything done or action taken or omitted to be done or taken under the said rules, before such repeal.

SCHEDULE-I

[See Clause (b) of rule 2 and sub-rule (1) of rule (4)]

Name, number and scale of pay of Duty Posts included in the various Grade of the Indian Defence Estates Service (Group A)

S. No.	Name of the Post	No. of Posts	Scale of Pay
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Director General	1	Rs. 2750 fixed.
2.	Additional Director General/Director (Level I)	4	Rs. 2500-125/2-2750
3.	Deputy Director General/Director (Level II)	6	Rs. 2250-125/2-2500
4.	Joint Director (Selection Grade)	3	Rs. 2000-125/2-2250.
5.	Joint Director (Ordinary Grade)/ Assistant Director General.	14	Rs. 1500-60-1800-100-2000.
6.	Assistant Director/Deputy Assistant Director General/ Defence Estates Officer/Cantonment Executive Officer (Senior Scale).	56	Rs. 1100 (6th year or under)-50-1600 subject to provisions of Schedule III.
7.	Cantonment Executive Officer/Attached Officer (Junior Scale).	32	Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300.

SCHEDULE-II

[See sub-rule (2) of rule 7]

Minimum educational qulifications and age limit for direct recruitment to posts in Group A Junior Scale of the Indian Defence Estates Service (Group A) for the competitive examinations to be conducted by the Union Public Service Commission

A candidate must have :—

(1) A Degree of any University incorporated by an Act of the Central or State Legislation in India or other educational institutions established by an Act of Parliament or declared to be deemed as University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1958 or a foreign University approved by the Government from time to time or possess qualification which has been recognised by the Government for the purpose of admission to the examination.

(2) Attained the age of 21 years but must have not attained the age of 28 years on the first day of January in which the examination is held. The upper age limit shall be 26 years for the examination to be held in 1985 and thereafter.

SCHEDULE-III

[See sub-rule (2), (3) and (4) of rule 7]

Method of recruitment, field of promotion and minimum qualifying service in the next lower grade for appointment of officers on promotion to duty posts included in the various grades of the Indian Defence Estates Service (Group A)

S. No.	Name of the Post	Method of recruitment	Field of selection and minimum qualifying service for promotion
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Director General (Rs. 2750 fixed)	By promotion	Additional Director General/Director (Level I) appointed on regular basis.
2.	Additional Director General/Director (Level I) (Rs. 2500-2750)	-do-	Deputy Director General/Director (Level II) with 2 years service in the grade rendered his appointment thereto on a regular basis.
3.	Deputy Director General/ Director (Level II) (Rs. 2250-2500)	By promotion	Joint Director/Assistant Director General, Deputy Director with 7 years regular service in the grade failing which Joint Director/Assistant Director General/Deputy Director with 10 years combined regular service in the grades of Joint Director/Assistant Director General/ Deputy Director and Assistant Director, Deputy Assistant Director General/ Defence Estate Officer/Cantonment Executive Officer (Senior Scale).
4.	Joint Director (Selection Grade) (Rs. 2000-2250)	By promotion on non-selection basis	Joint Director/Assistant Director General who have reached the maximum of pay scale, i.e. Rs. 2000/- and have stagnated for not less than 2 years.
5.	Joint Director (Ordinary Grade)/Assistant Director General (Rs. 1500-2000)	By promotion	Assistant Director/Deputy Assistant Director General/Defence Estates Officer/ Cantonment Executive Officer (Senior Scale) with 5 years regular service in the grade, failing which Assistant Director/

(1)	(2)	(3)	(4)
			Deputy Assistant Director General/ Defence Estate Officer/Cantonment Executive Officer (Senior Scale) with 9 years combine regular service in the grades of Assistant Director/Deputy Assistant Director General/Defence Estate Officer/Cantonment Executive Officer (Senior Scale) and Cantonment Executive Officer/Attached Officer (Junior Scale).
6	Assistant Director/Deputy Assistant Director General/Defence Estate Officer/Cantonment Executive Officer (Senior Scale) (Rs. 1100-1600)	By promotion (on non-selection basis)	Cantonment Executive Officer/Attached Officer (Junior Scale), who have successfully completed the probation, including passing of departmental examination and have rendered 4 years service in the grade on regular basis.
7.	Cantonment Executive Officer/ Attached Officers (Junior Scale) (Rs. 700-1300)	(i) 25% by promotion. (ii) 75% by direct recruitment in accordance with sub-rule (2) of rule 7.	From amongst the officers of the Cantonment Executive Officers Service (Group B) and Defence Estate Officers Service (Group B) in the ratio of 1 : 1 with 3 years regular service in their respective grades.

Explanation :—

(1) For determining the eligibility for promotion to posts of Joint Director (Ordinary grade)/Assistant Director General, service rendered in the erstwhile pay scale of Rs. 400-400-450-30-510-EB-70-40-1100-50/2-1250 prior to 1-1-1973, after crossing of efficiency Bar therein shall be counted as service rendered in the grade of Rs. 1100-1600 (Senior Scale).

(2) For determining the eligibility for promotion to the posts at Sl. No.2, service rendered in the erstwhile grade of Rs 2000-2500 shall be counted as service in the grade of Rs 2250-2500 (Level II).

SCHEDULE IV

[See sub-rule (5) of rule 7]

Composition of Group A Departmental Promotion Committee for considering cases of promotion and confirmation to Group A posts in the Indian Defence Estates Service (Group A).

Sl No.	Name of the post	Group A D.P.C. (for considering promotion)	Group A D.P.C. (for considering confirmation)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Director General	(i) Chairman/Member, UPSC —Chairman (ii) Secretary/Additional Secretary, Ministry of Defence —Member	(i) Secretary, Ministry of Defence —Chairman (ii) Additional Secretary Ministry of Defence —Member
2.	Additional Director General/ Director (Level-I)	(i) Chairman/Member, UPSC —Chairman (ii) Additional Secretary, Ministry of Defence —Member	(i) Secretary, Ministry of Defence —Chairman (ii) Additional Secretary, Ministr of Defence —Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(iii) Director General, Defence Estates —Member	(iii) Director General, Defence Estates — Member	
3.	Deputy Director General/ Director (Level II)	(i) Chairman/Member, UPSC —Chairman	(i) Additional Secretary, Ministry of Defence — Chairman	
		(ii) Additional Secretary, Ministry of Defence —Member	(ii) Director General, Defence Estates — Member	
		(iii) Director General, Defence Estates —Member	(iii) Joint Secretary (P & W), Ministry of Defence — Member	
4.	Joint Director-Non-functional Selection Grade)	(i) Joint Secretary (P&W), Ministry of Defence. —Chairman		
		(ii) Director General, Defence Estates —Member		
		(iii) Additional Director General, Defence Estates —Member		
5.	Joint Director, (Ordinary Grade)/Assistant Director General	(i) Chairman/Member, UPSC —Chairman	(i) Joint Secretary (P&W), Ministry of Defence — Chairman	
		(ii) Joint Secretary (P&W), Ministry of Defence —Member	(ii) Director General, Defence Estates — Member	
		(iii) Director General, Defence Estates —Member		
6.	Assistant Director/Deputy Assistant Director General/ Defence Estates Officer/ Cantonment Executive Officer (Senior Scale)	(i) Joint Secretary (P&W), Ministry of Defence. —Chairman	(i) Joint Secretary (P&W), Ministry of Defence — Chairman	
		(ii) Director General, Defence Estates —Member	(ii) Director General, Defence Estates —Member	
		(iii) Deputy Secretary (CP), Ministry of Defence —Member	(iii) Deputy Secretary, Ministry of Defence — Member	
7.	Cantonment Executive Officer/ Attached Officer (Junior Scale)	(i) Chairman/Member, UPSC —Chairman	(i) Joint Secretary (P&W), Ministry of Defence — Chairman	
		(ii) Joint Secretary (P&W), Ministry of Defence —Member	(ii) Director General, Defence Estates —Member	
		(iii) Director General, Defence Estates. —Member	(iii) Deputy Secretary (CP), Ministry of Defence —Member	

Note 1 : The absence of a Member other than the Chairman or a Member of the Commission shall not be invalidate the proceeding of the Committee, if more than half the Members of the Committee had attend its meetings.

Note 2 : The proceeding of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission, a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held.

Note 3 : If an officer appointed to any post in the Service is considered for the purpose of promotion to the higher posts, all persons senior to him in the grade shall also be considered notwithstanding that they may not have rendered the requisite number of years of service.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Recruitment Rules for Military Lands and Cantonment Service Group 'A' were published vide SRO No. 23(E) dated 23-9-1981 in 1981 in consultation with the Union Public Service Commission vide their letter No. F. 3/4 (13)/77-RR dated 23-4-1981.

The above Rules were framed under Clause (cc) Sub-section (2) of Section 280 of the Cantonments Act 1924. The aforesaid Act has been amended by Cantonment (Amendment) Act 1983 and the aforesaid Clause has been omitted thus leaving no enabling Clause for amendment of the Rules. Besides, as a result of a review, upward revision of scales of pay of the posts above the Junior Administrative Grade in service was sanctioned and levels I and II created in Senior Administrative Grade, by the Government vide letter No. F.15(2)/79/D(Q&C) dated 29th July, 1983. Under the same letter the post of Addl. D.G. was created and the posts of Jt. Director became non-functional stagnation posts, the number of which was reduced to 3 from 5. Certain complications also arose in the application of Military Lands and Cantonment (Group 'A') Rules, 1981, especially the initial constitution Clause incorporated in rule 6 thereof which resulted in bunching of vacancies and consequent large scale supersessions which are likely to demoralise the officers of the Service. In the meanwhile, Government have also decided to change the name of the Service to Indian Defence Estates Service (Group 'A').

Accordingly, it is proposed to frame fresh Recruitment Rules in exercise of the powers conferred under proviso to Article 309 of the Constitution to overcome the above difficulties and lacunae providing in particular, for the splitting of vacancies which arose in the past in the various grades and exist on the date of promulgation of the Rules, yearwise, for preparing the select list.

It is certified that the publication of the proposed Recruitment Rules would not adversely effect any person presently in service.

[F. No. 103/57/ADM/L & C]

K. SRINIVASAN, Jt. Secy.

1138 GI/85

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985